

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 08.05.25

क्रमांक रीडर/2025/1905
प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 ईशराराम पुत्र
हेराजराम 2 कंवराराम
पुत्र जेठाराम जाति
जाट निवासी मायलो
का डेर खुडासा
तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 पेम्पो देवी पत्नी गंगाराम 2 अमेदाराम 3 नरसींगाराम
पिसरान जेठाराम 4 पूनमाराम 5 बालाराम पिसरान खीयाराम
6 मोटाराम पुत्र जेठाराम 7 अचली पत्नी अर्जुनसिंह 8
उदाराम 9 चोलाराम 10 जुगताराम 11 लालाराम पिसरान
जैसाराम जातियान जाट निवासी जेताणियो की ढाणी,
खुडासा 12 टीकमाराम पुत्र फुसाराम 13 जोगाराम 14
ताजाराम पिसरान धुड़ाराम जातियान जाट निवासी नोख 15
उम्मेदाराम 16 जुगताराम 17 बाबूराम पिसरान कुंभाराम 18
मिरगो देवी पत्नी कुंभाराम 19 सवाईराम पुत्र कुंभाराम 20
तारा पुत्र लाधाराम 21 नवाराम पुत्र गंगाराम जातियान
भील निवासी जेतोणियो की ढाणी, खुडासा तहसील व
जिला बाड़मेर 22 रिड़मलराम पुत्र भीमाराम सवाईराम पुत्र
अमलुराम जाति ढाढी निवासी नोख तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 835/2024

दिनांक- 02/05/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जेताणियो की ढाणी पटवार क्षेत्र खुडासा तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर भूमि खसरा संख्या 97 रकबा 10.2062 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण कमीशनर नियुक्त किया जाता है।
उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित
की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/1906-1909

दिनांक- 08.05.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी खुडासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी ईशराराम पुत्र हेराजराम जाति जाट निवासी मायलो का डेर खुडासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण पेम्पो देवी पत्नी गंगाराम वगैरह जातियान जाट निवासी जेताणियो की ढाणी, खुडासा
तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।




उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर